बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः— **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024—25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति।**

पेराई वर्ष 2024—25 के लिए पूर्व में निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि की जा चुकी है। उक्त वृद्धि के उपरान्त निर्धारित ईख मूल्य का दर निम्नवत् हैः—

उत्तम प्रभेद	—	365 / — रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद	—	345 / — रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद	—	310 / — रूपये प्रति क्विंटल

उक्त निर्धारित दर का वहन चीनी मिलों के द्वारा किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024—25 से ईख मूल्य की दर में तीनों प्रभेदों में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि किया जाता है। वर्द्धित राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के पश्चात् पेराई सत्र 2024—25 में ईख मूल्य का दर निम्नवत् होगाः—

उत्तम प्रभेद	—	375 / — रूपये प्रति क्विंटल
सामान्य प्रभेद	—	355 / — रूपये प्रति क्विंटल
निम्न प्रभेद	—	320 / — रूपये प्रति क्विंटल

इस प्रकार ईख मूल्य में 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की वृद्धि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष कुल अनुमानित व्यय 7,00,00,000 (सात करोड़) क्विंटल गन्ना x रू० 10 (दस) = 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का वहन किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप गन्ना कृषकों को पिछले वर्ष की तुलना में 20 (बीस) रू० प्रति क्विंटल की दर से अधिक गन्ना का मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

2. इस योजना के फलस्वरूप राज्य के गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं गन्ना की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों द्वारा अधिक से अधिक भूमि में गन्ना की खेती किया जायेगा। इसके फलस्वरूप

15/1/2025

Sankalp-ls

चीनी मिलों एवं गुड़ इकाइयों को पर्याप्त गन्ना प्राप्त होगा तथा गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

3. इस योजना का कार्यान्वयन के लिए गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईखायुक्त, बिहार योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। बजट आवंटन जिस जिले में चीनी मिल अवस्थित है, उस जिले के संबंधित समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित समाहर्त्ता द्वारा वर्द्धित ईख मूल्य 10 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से अनुमान्य राशि गन्ना कृषकों को उनके बैंक खातें में सीधे अन्तरण किया जायेगा।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर के चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले बिहार के किसानों को यह लाभ प्राप्त होगा। इस राशि की विमुक्ति एवं वितरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान हेतु गन्ना उद्योग विभाग सक्षम होगा।

4. यह राशि बजट शीर्ष सामान्य श्रेणी अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 201–चीनी, उपशीर्ष 0103–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–45–2852082010103, विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य आकस्मिकता निधि प्राप्त अग्रिम/अनुपूरक बजट उपबंध से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

5. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–14/टि० पर दिनांक–10.01.2025 को उक्त कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. संकल्प प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ संख्या–16/टि० पर दिनांक–13.01.2025 को प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अनिल कुमार झा)

ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः......

Sankalp-Is

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7013/2024– /पटना, दिनांक जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–प्रभारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7013/2024– /पटना, दिनांक जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार/लेखा एवं बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हे निदेश है कि इस निमित्त आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की त्वरित कार्रवाई की जाय।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7013/2024– /पटना, दिनांक जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7013/2024– /पटना, दिनांक जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/संबंधित सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7013/2024– /पटना, दिनांक जनवरी, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु॰–02–7013/2024–42 /पटना, दिनांक 13. जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13/1/2025

ईखायुक्त, बिहार।

Sankalp-Is